झारखण्ड विधान सभा

कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

धाराएँ

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ।

2. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं0–63 की धारा 2 का संशोधन।

3. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं0–63 की धारा 85 का संशोधन।

4. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं0–63 में नयी धारा 106 ख का अन्तःस्थापन।

कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

कारखाना अधिनियम, 1948 को उसके झारखण्ड राज्य में लागू होने के निमित्त और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है: -

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.**-(1) इस अधिनियम का नाम कारखाना (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

   (2) इसका प्रसार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (3) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. **1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं०-63 की धारा 2 का संशोधन.**-कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं०-63), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, झारखण्ड राज्य में इसके लागू होने के निमित्त इसकी धारा 2 में.-

   (i) खण्ड (ड) के उप-खण्ड (i) में, विद्यमान शब्द "दस" के स्थान पर शब्द "बीस" प्रतिस्थापित किया जाएगा; और

   (ii) खण्ड (ड) के उप-खण्ड (ii) में, विद्यमान शब्द "बीस" के स्थान पर शब्द "चालीस" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. **1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं०-63 की धारा 85 का संशोधन.**-मूल अधिनियम की धारा 85 की उप धारा (1) के खण्ड (i) में विद्यमान शब्द "दस" और "बीस" के स्थान पर क्रमशः शब्द "बीस" और "चालीस" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

4. **1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं०-63 में नयी धारा 106ख का अन्तःस्थापन.**-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 106क के पश्चात् और विद्यमान धारा 107 क पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"**106ख.अपराधों का शमन.**-

(1) निरीक्षक, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन केवल जुर्माने से दण्डनीय और पहली बार कारित किसी अपराध का, चाहे अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् ऐसी प्रशमन फीस की रकम की वसूली पर, जो वह ठीक समझे, जो उस अपराध के लिए नियत जुर्माने की अधिकतम रकम से अधिक न हो, शमन कर सकेगा; और जहाँ इस प्रकार अपराध का शमन,-

(i) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया गया हो तो अपराधी, ऐसे अपराध के लिए अभियोजन के लिए दायी नहीं होगा, और यदि अभिरक्षा में हो, तो स्वतंत्र कर दिया जाएगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया गया हो तो शमन अपराधी की दोषमुक्ति के बराबर होगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लेखित प्रावधान निम्नलिखित प्रकृति के अपराधों के लिए लागू नहीं होंगे,-

(i) मूल अधिनियम के अध्याय-IVए में उल्लेखित प्रावधानों से संबंधित;

(ii) मूल अधिनियम की धारा-87 में उल्लेखित प्रावधानों से संबंधित।"

यह विधेयक कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015 दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 66--50--18-1-2016